

— आदेश —

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। यस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी सक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्थ अभिलेख में होने योग्य है। अतः इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं —

पूर्व इन्द्राज			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर
1	2	3	4	5	6
128	मांजीलाल / शमेश्वरराज	127	2.13	मांजीलाल श. राधुराम	127
129		कुलकित 10	कुल रकबा 7.59 1/2		कुलकित 10 कुल रकबा 7.59 1/2

जाकीपुरा

क्रमांक :- PGKSA/21/
प्रतिलिपि पालनार्थ :-
1 उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रभाषी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)
PGKSA-2021, पं.स. मौलासर
दिनांक 11/10/21

शिविर प्रभाषी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)
दिनांक

क्रमांक :-
प्रतिलिपि पालनार्थ :-
1 पटवार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थान नहीं हो तो निर्णय पालना सुनिश्चित करें।

को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थान नहीं हो तो निर्णय

उप तहसीलदार, मौलासर